

बहुमत को इस
दस्तावेज को तारीख
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के बकौल
उपस्थित। आज समय बहा गया। मिसल
आइन्दा तारीख 24/11/22 को वास्तो
पूर्व आदेश की पालना में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के बकौल
उपस्थित। आज समय बहा गया। मिसल
आइन्दा तारीख 14/02/22 को वास्तो
पूर्व आदेश की पालना में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

~~पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के बकौल
उपस्थित। आज समय बहा गया। मिसल
आइन्दा तारीख 24/11/22 को वास्तो
पूर्व आदेश की पालना में पेश हो~~

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

आवश्यक प्रकृति में प्रार्थना पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर प्रार्थना पत्र में उचित
वादीगण/प्रार्थीगण को उचित रूप में सूचित किया जायेगा
उपरोक्त उपभाग में कोई दखलअन्दाजी नहीं करे और उन्हे
करे।
यह कि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण
वादीगण/प्रार्थीगण उनके भौतिक कब्जेकाश्त को आराजी से
देगे जिससे वादीगण/प्रार्थीगण के जीवनयापन का संकट
और उन्हें अपूरनीय क्षति कारित होगी ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये
अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से एक पक्षीय रूप से पाबंद
आवश्यक है।
अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादीगण/प्रार्थीगण का
प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण/प्रार्थीगण को
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय अन्तरिम अनुज्ञापत्र जारी करने में एक
पाबंद करने की कृपा करे कि अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण को उचित
कब्जेकाश्त में दखलअन्दाजी नहीं करे और उनके भौतिक कब्जे का
अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करे।

